सीएसआईआर- केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान
(वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद)
दिल्ली-मथुरा रोड, नई दिल्ली -110 025
(वेबसाइट: www.crridom.gov.in)

विज्ञापन संख्या: 01/पीसी/एससीटी-2023

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 27.02.2023 (प्रातः 10:00 बजे से)
ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: 29.03.2023 (शाम 05:00 बजे तक)

(ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र की एक सॉफ्ट कॉपी अपने पास रख लें। आवेदन जमा करने के बाद उन्हें आवेदन की कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। केवल साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों से उचित समय पर उनके आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने के लिए सूचित किया जाएगा)

"इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में शोध कैरियर के लिए एक अनूठा अवसर"

सीएसआईआर-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के तहत एक प्रमुख अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) संस्थान है, जो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। संस्थान के आर एण्ड डी के प्रमुख क्षेत्रों में सड़क और परिवहन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) आधारित नवीन समाधान प्रदान करने के लिए बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान शामिल हैं। इनमें यातायात इंजीनियरिंग और सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा ऑडिटिंग, परिवहन योजना और पर्यावरण, ग्रामीण सड़कों की योजना और इंजीनियरिंग पहलू, स्मार्ट शहरों के लिए टिकाऊ परिवहन, विवेकपूर्ण परिवहन प्रणाली, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अध्ययन, सेतु इंजीनियरिंग और संबंधित संरचनाएं, और राजमार्ग इंस्ट्रूमेंटेशन, कुट्टिम इंजीनियरिंग और सामग्री (दृढ़, सुनम्य और समग्र कुट्टिम), कुट्टिम मूल्यांकन, सड़क संपत्ति प्रबंधन और ह्रास मॉडलिंग, भूमि सुधार, भूस्खलन प्रबंधन और जोखिम न्यूनीकरण शामिल हैं।

सीएसआईआर-सीआरआरआई सड़कों, सेतुओं और अन्य संबंधित बुनियादी ढांचे के डिजाइन, योजना और प्रबंधन में सड़क नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन (एनएसवी), लिडार, यूएवी, मोबाइल सेतु निरीक्षण यूनिट (एमबीआईयू), त्वरित कुट्टिम परीक्षण सुविधा (एपीटीएफ), स्वदेशी रूप से विकसित कार ड्राइविंग सिम्युलेटर आदि जैसे परिष्कृत उपकरणों और AIMSUN, AQMS, Bentley Context Capture, COMSOL, CSI, GIS, HDM-4, MATLAB, MIDAS, Noise Modeling, RM Enterprises, TRANSCAD, VISSIM, VISSUM आदि जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। इसके अलावा सीएसआईआर-सीआरआरआई नवीनतम तकनीकों और सड़क क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों पर राजमार्ग/परिवहन पेशेवरों के कौशल को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, एनएचएआई/एमओआरटी एंड एच द्वारा "सड़क सुरक्षा लेखापरीक्षा और अन्य सड़क सुरक्षा संबंधी पहलुओं" पर 15-दिवसीय प्रमाणन पाठ्यक्रम के लिए सीएसआईआर-सीआरआरआई एक मान्यता प्राप्त केंद्र है।

पद की आवश्यकताएं/ प्रकृति: पदधारियों से चल रही अनुसंधान गतिविधियों में भाग लेने की उम्मीद की जाती है और चयनित उम्मीदवारों के ज्ञान और अनुभव को ध्यान में रखते हुए संस्थान की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न कार्यात्मक प्रभागों में उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के अलावा, प्रायोजित/सहायता अनुदान/परामर्श परियोजनाओं को भी स्वतंत्र रूप से या टीम के हिस्से के रूप में संभाला जाना है। उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने संबंधित क्षेत्र के प्रचलित और लागू विभिन्न मानकों के साथ परिचित हों जैसे अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मैटेरियल्स (एएसटीएम), इंडियन रोड्स कांग्रेस (आईआरसी) और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) आदि। उम्मीदवारों से संबंधित क्षेत्रों में सामाजिक परियोजनाओं में शामिल अन्य हितधारकों के साथ नेटवर्क स्थापित करने और भाग लेने की क्षमता की उम्मीद की जाती है। इसके अलावा, उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे संस्थान के अधिदेश का पालन करें और समय-समय पर सौंपे गए अपने संबंधित प्रभागों या कार्य क्षेत्रों के समग्र अनुसंधान एवं विकास लक्ष्यों की दिशा में काम करें। छात्रों को उनके एम.टेक/एम.ई./पीएच.डी. अध्ययन के लिए पर्यवेक्षण करने का अवसर भी मौजूद है।

उच्च स्तर की प्रेरणा और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अनुसंधान, उत्पाद विकास, प्रौद्योगिकी नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान करने की इच्छा के साथ यातायात और परिवहन इंजीनियरिंग , पर्यावरण इंजीनियरिंग और सेतु इंजीनियरिंग और संरचनाओं में दोनों बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान में भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिए उत्साही, युवा, गतिशील और रचनात्मक भारतीय शोधकर्ताओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं जिनके पास उत्कृष्ट अकादमिक रिकॉर्ड और प्रमाणित वैज्ञानिक उपलब्धि है:

पदनाम	**पदों की कुल संख्या**	**वेतनमान / स्तर**	**कुल मासिक परिलब्धियां (लगभग)**	**अधिकतम आयु सीमा** (ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार)
वैज्ञानिक समूह IV(2)	11 पद (अनारक्षित- पांच पद; ईडब्ल्यूएस - एक पद; अ.पि.व(एनसीएल)- दो पद; अ.जा.- दो पद;अ.जनजाति- एक पद)	7वें वेतन आयोग का वेतन स्तर -11	रु1,21,641/- (लगभग)	32 वर्ष *

* कृपया प्रासंगिक छूट खंड के तहत 'छूट' देखें।

सभी पदों के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि निम्नानुसार हैं:-

पद कूट और आरक्षण	**अनिवार्य शैक्षिक योग्यता**	**वांछनीय अनुभव/योग्यता**	**कार्य विनिर्देश**
क्षेत्र : यातायात एवं परिवहन इंजीनियरिंग : 05 पद			
S-01 अनारक्षित (UR) - 03 S-02 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC-NCL) - 01 S-03 अनुसूचित जाति (SC) - 01	सिविल इंजीनियरिंग में एम.ई./एम.टेक / एम. एस. या कोई समकक्ष डिग्री* के साथ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग / ट्रांसपोर्ट प्लानिंग / ट्रैफिक इंजीनियरिंग / ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग / ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एंड लॉजिस्टिक्स / ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग / ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग / हाईवे सेफ्टी / इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन एंड मैनेजमेंट / अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर / अर्बन ट्रांसपोर्ट / इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स / ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंजीनियरिंग / इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग / ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट / हाईवे इंजीनियरिंग / हाईवे एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग / हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग / हाईवे टेक्नोलॉजी / इंजीनियरिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजास्टर मिटिगेशन / मास्टर इन प्लानिंग इन अर्बन प्लानिंग / ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में विशेषज्ञता **या** यातायात इंजीनियरिंग / परिवहन इंजीनियरिंग / सड़क सुरक्षा / परिवहन योजना के क्षेत्र में इंजीनियरिंग में पीएच.डी. (प्रस्तुत) **	1.सिविल इंजीनियरिंग में बी.ई./बीटेक डिग्री (कुल योग पर 60% अंक या समकक्ष जीपीए) 2.निम्नलिखित की जानकारी रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी: •अभिनव परिवहन प्रणाली डिजाइन या •ज्यामितीय डिजाइन/मॉडलर या •क्षेत्रीय सड़क नेटवर्क योजना या •यातायात का विश्लेषण और डिजाइन या •परिवहन इंजीनियरिंग परियोजनाएं या •परिवहन मॉडलिंग या • सड़क सुरक्षा ऑडिट या परिवहन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग	आर एंड डी (R&D) और अभिनव उत्पाद विकास, ट्रांसलेशनल रिसर्च के साथ-साथ ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, रोड नेटवर्क, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग और रोड सेफ्टी के क्षेत्रों में परियोजनाओं का कार्यस्थल पर निष्पादन।

पद कूट और आरक्षण	अनिवार्य शैक्षिक योग्यता	वांछनीय अनुभव/योग्यता	कार्य विर्निदेश
क्षेत्र: पर्यावरण इंजीनीयरिंग - 01 पद			
S-04 अनारक्षित (UR) – 01	एम.ई. / एम.टेक. / एम.एस. या सिविल इंजीनियरिंग में कोई समकक्ष डिग्री* या पर्यावरण इंजीनियरिंग/ पर्यावरण इंजीनियरिंग और प्रबंधन / पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता या पर्यावरण इंजीनियरिंग / पर्यावरण इंजीनियरिंग और प्रबंधन / पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इंजीनियरिंग में पीएच.डी. (प्रस्तुत)**	1. सिविल इंजीनियरिंग में बीई / बीटेक डिग्री (कुल योग पर 60% अंक या समकक्ष जीपीए) 2.निम्नलिखित की जानकारी रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी: • सड़क और परिवहन परियोजनाओं से संबंधित वायु और ध्वनि प्रदूषण मॉडलिंग या • पर्यावरण प्रभाव आकलन और सड़क और परिवहन परियोजनाओं का शमन या • कार्बन पृथक्करण	आर एंड डी और अभिनव उत्पाद विकास, ट्रांसलेशनल रिसर्च के साथ-साथ वायु और ध्वनि प्रदूषण मूल्यांकन या पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और न्यूनीकरण या राजमार्ग परिवहन इंजीनियरिंग परियोजनाओं से संबंधित कार्बन पृथक्करण के क्षेत्र में परियोजनाओं का कार्यस्थल पर निष्पादन.
क्षेत्र: सेतु इंजीनियरिंग एवं संरचनाएँ : 05 पद			
S-05 अनारक्षित (UR) – 01 S-06 अन्य पिछड़ा वर्ग)OBC-NCL - (01 S-07 अनुसूचित जाति (SC) - 01 S-08 अनुसूचित जनजाति (ST) - 01 S-09 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) - 01	एम.ई./ एम.टेक. / एम.एस. या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग / स्ट्रक्चरल डिजाइन / भूकंप इंजीनियरिंग / स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स / स्ट्रक्चरल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग / कंप्यूटर एडेड स्ट्रक्चरल डिजाइन / विंड इंजीनियरिंग / एप्लाइड साइंसेज (सिविल इंजीनियरिंग) में कोई समकक्ष डिग्री* । या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग / स्ट्रक्चरल डिजाइन / भूकंप इंजीनियरिंग / स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स / स्ट्रक्चरल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग / कंप्यूटर एडेड स्ट्रक्चरल डिजाइन / विंड इंजीनियरिंग / एप्लाइड साइंसेज (सिविल इंजीनियरिंग) के क्षेत्र में इंजीनियरिंग में पीएच.डी. ** (प्रस्तुत)	1. सिविल इंजीनियरिंग में बीई / बीटेक डिग्री (कुल योग पर 60% अंक या समकक्ष जीपीए) 2. निम्नलिखित की जानकारी रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी: • सेतुओं और फ्लाईओवरों और अन्य सिविल इंजीनियरिंग का संरचनात्मक विश्लेषण और डिजाइन संरचनाओं या • सेतुओं और फ्लाईओवरों और अन्य सिविल इंजीनियरिंग संरचनाओं की स्वास्थ्य निगरानी या • सेतु और फ्लाईओवर और अन्य सिविल इंजीनियरिंग संरचनाओं के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग या • सेतुओं और फ्लाईओवरों और अन्य सिविल इंजीनियरिंग संरचनाओं के संरचनात्मक सदस्यों की सामग्री और परीक्षण की विशेषता या • सेतुओं और फ्लाईओवरों और अन्य सिविल इंजीनियरिंग संरचनाओं की मरम्मत/पुनर्वास योजनाओं का डिजाइन	निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास और नवीन उत्पाद विकास, ट्रांसलेशनल रिसर्च /संबंधित परियोजनाओं का कार्यस्थल पर निष्पादन : संरचनात्मक विश्लेषण और डिजाइन या स्वास्थ्य की निगरानी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग या सामग्री की विशेषता और संरचनात्मक सामग्री का परीक्षण या मरम्मत/पुनर्वास योजनाओं का डिजाइन

टिप्पणी:

** समकक्ष डिग्री में एकीकृत दोहरी डिग्री (बी.ई/बी.टेक एवं एम.ई/एम.टेक.) भी शामिल है।*
*** पीएच.डी. डिग्री प्रमाण पत्र में जहां भी "इंजीनियरिंग" का उल्लेख नहीं है तब केवल उन्हीं उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा जिनके पास सिविल इंजीनियरिंग में B.E./B.Tech डिग्री के साथ पीएच.डी डिग्री है।*

ऊपर बताई गई शैक्षिक योग्यता के अलावा, कोई अन्य मान्यता प्राप्त योग्यता, जो निर्धारित योग्यता के समकक्ष है, को आवश्यक दस्तावेज के प्रस्तुत करने के अधीन उस शैक्षिक योग्यता के समकक्ष माना जाएगा।

<u>सामान्य सूचना और शर्तें:</u>

1. **<u>परिषद सेवा के तहत लाभ:</u>**

क) इन पदों पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य और सीएसआईआर पर लागू होने वाले सामान्य भत्ते लागू होंगे । परिषद के कर्मचारी, उपलब्धता के आधार पर, सीएसआईआर आबंटन नियमों के अनुसार आवास के लिए पात्र हैं, ऐसी स्थिति में एचआरए देय नहीं होगा।

ख) पदों के सामने दर्शाई गई परिलब्धियों के अलावा, सीएसआईआर के नियमों के अनुसार चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायत, वाहन अग्रिम और गृह निर्माण अग्रिम जैसे लाभ उपलब्ध हैं।

ग) चयनित उम्मीदवार सीएसआईआर द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए अपनाए गए परिभाषित योगदान के आधार पर 'राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली' के अधीन रहेंगे। हालांकि, सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के तहत पेंशन योजना वाले केंद्र/राज्य सरकार के अन्य विभागों से चुने गए व्यक्ति नियमों के अनुसार उस पेंशन योजना के अधीन रहेंगे।

घ) सीएसआईआर वैज्ञानिकों के लिए मूल्यांकन पदोन्नति योजना के तहत कैरियर में उन्नति के लिए योग्य उम्मीदवारों को उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है।

ङ) योग्य उम्मीदवारों को सीएसआईआर नियमों के अनुसार अग्रिम वेतन वृद्धि के लिए विचार किया जा सकता है, यदि विशेष रूप से चयन समिति द्वारा अनुशंसा की जाती है।

च) सक्षम प्राधिकारी को इस विज्ञापन में नियम और शर्तों को संशोधित करने, हटाने और जोड़ने का अधिकार है।

2. <u>अन्य शर्तें:</u>

क) आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक भी आवेदन कर सकते हैं।

ख) सभी आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात 29.03.2023 तक पद की सभी आवश्यक आवश्यकताओं और विज्ञापन में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करना होगा। उन्हें सलाह दी जाती है कि वह आवेदन करने से पहले स्वयं को संतुष्ट कर लें कि उनके पास ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक विभिन्न पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम आवश्यक शैक्षिक योग्यताएं हैं जो उम्मीदवार के पास कुछ अन्य उच्च योग्यताएं होने पर भी अनिवार्य हैं। पात्रता पर सलाह मांगने वाली किसी पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।
<u>निर्धारित आवश्यक शैक्षिक योग्यता न्यूनतम हैं और प्रत्येक पद के सामने उल्लिखित क्षेत्र में होनी चाहिए। केवल इनके होने मात्र से ही उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के पात्र नहीं हो जाते हैं।</u> **<u>विधिवत गठित स्क्रीनिंग कमेटी उम्मीदवारों को शॉर्ट-लिस्ट करने के लिए अपना मानदंड अपनाएगी।</u>** जहां भी विषय विशेषज्ञता की व्याख्या की गुंजाइश है, उम्मीदवार के शोध प्रबंध के विषय पर भी स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा विचार किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवार को आवेदन पत्र में सीपीआई/जीपीए में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए सभी योग्यताओं का उल्लेख करना चाहिए और एम.ई./एम.टेक/ एम.एस. / पीएच.डी के दौरान किए गए शोध प्रबंध के सार की प्रति, और दस्तावेजों के साथ समर्थित संबंधित क्षेत्र में अनुभव जो न्यूनतम निर्धारित शैक्षिक योग्यता से अधिक है, को भेजना चाहिए और यह सुनिश्चित करें कि सभी विवरण पूर्ण और सटीक हैं। **<u>डॉक्टरेट की डिग्री यानी पीएच.डी. अनंतिम प्रमाण पत्र/अधिसूचना जारी होने की तिथि से गणना की जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा।</u>**

ग) जहां भी पद के लिए विशिष्ट क्षेत्र / अनुशासन को आवश्यक पात्रता मानदंड के रूप में निर्धारित किया गया है, उम्मीदवारों को वैध प्रमाण के साथ इस संबंध में अपने दावों की पुष्टि करनी चाहिए। यदि किसी मामले में संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्र पर उम्मीदवार के अंक पत्र और/या डिग्री में आवश्यक क्षेत्र/विषय का उल्लेख नहीं किया गया है तब ऐसे दावों की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में स्क्रीनिंग कमेटी का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा।

घ) आयु, शैक्षिक योग्यता, प्राप्त अंक, अनुभव और जाति/समुदाय/वर्ग आदि के समर्थन में सभी मूल दस्तावेज/प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड किए जाने चाहिए। <u>निर्धारित योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों/एसीएसआईआर आदि से प्राप्त की हुई होनी चाहिए।</u> **अपूर्ण आवेदन या बिना आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने या आवेदन शुल्क के भुगतान के प्रमाण के बिना (जहां भी लागू हो)किया गया आवेदन सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।**

ङ) आवश्यक शैक्षिक योग्यता में समकक्ष खंड के संबंध में, यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन की आवश्यकता के अनुसार समकक्ष योग्यता के रूप में किसी विशेष शैक्षिक योग्यता का दावा कर रहा है, तो उम्मीदवार को इस संबंध में प्राधिकरण जिसके अंतर्गत इसे समकक्ष माना गया है, की अधिसूचना/पत्र (संख्या और दिनांक) को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

च) साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए वैध अनुभव की गणना करते समय एक उम्मीदवार द्वारा अंशकालिक आधार पर, दैनिक वेतन, विजिटिंग / गेस्ट फैकल्टी के अनुभव की अवधि की गणना नहीं की जाएगी।

छ) यदि प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज/प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में है, तो उसका राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित प्रतिलेख प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ज) ऊपरी आयु सीमा, योग्यता और / या अनुभव निर्धारित करने की तिथि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि अर्थात **29.03.2023** होगी।

झ) किसी विषय/कार्य क्षेत्र में अनुभव की अवधि, जहां भी निर्धारित हो, की गणना उस पद के लिए निर्धारित न्यूनतम निर्धारित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने की तिथि के बाद की जाएगी।

ञ) भारत सरकार के निर्देशों के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले बेंचमार्क विकलांगता (PwBD) वाले व्यक्तियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

ट) साक्षात्कार के लिए बुलाए गए केवल बाहरी उम्मीदवारों को रेल टिकट या यात्रा का कोई अन्य मूल प्रमाण प्रस्तुत करने पर भारत में यात्रा करने के वास्तविक स्थान से या भारत में उनके निवास के सामान्य स्थान से जो भी नई दिल्ली/ हजरत निजामुद्दीन/ दिल्ली रेलवे स्टेशन के निकट है, से आने-जाने का एकल द्वितीय श्रेणी का रेल किराया दिया जाएगा।

ठ) ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की गई जानकारी और ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड किए गए दस्तावेजों के बीच कोई विसंगति पाए जाने पर, उम्मीदवार साक्षात्कार में या चयन प्रक्रिया के किसी भी बाद के चरण में उपस्थित होने के लिए अपात्र हो जाएगा। ऐसे उम्मीदवार को आने-जाने का एकल द्वितीय श्रेणी का रेल किराया भी नहीं दिया जाएगा।

ड) उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग प्रथम दृष्टया उनके ऑनलाइन आवेदन मे अपलोड की गई जानकारी एवं दस्तावेजों के आधार पर ही की जाएगी। यदि बाद की तिथि में यह पता चलता है कि उम्मीदवार पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है तब उनकी उम्मीदवारी बिना कोई कारण बताए रद्द कर दी जाएगी। इसलिए, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दी गई जानकारी सत्य है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र की एक सॉफ्ट कॉपी अपने पास रख लें। **आवेदन जमा करने के बाद उन्हें आवेदन की कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। केवल साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों से ही उचित समय पर उनके आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने के लिए कहा जाएगा।**

ढ) पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन का तरीका, परीक्षा/साक्षात्कार के संचालन से संबंधित सभी मामलों में निदेशक, सीएसआईआर-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान/सीएसआईआर का निर्णय उम्मीदवारों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

ण) निदेशक, सीएसआईआर-सीआरआरआई के पास बिना कोई कारण बताए विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है या यदि आवश्यक हो तो पदों को न भरने का अधिकार सुरक्षित है। ऊपर बताई गई रिक्तियों की संख्या भिन्न हो सकती है अर्थात वास्तविक चयन के समय यह घट या बढ़ सकती है। यह विज्ञापन आवश्यक रूप से वास्तव में किए जा रहे चयनों के समान नहीं है। चयन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान एक निश्चित समय पर प्रचलित सीएसआईआर/भारत सरकार के निर्देशों के अधीन है।

त) उपरोक्त पदों के लिए भर्ती समय-समय पर संशोधित "वैज्ञानिक, तकनीकी और सहायक कर्मचारियों की भर्ती के लिए सीएसआईआर सेवा नियम, 1994" के अधीन है। इसलिए अन्य सभी नियम और शर्तें भी जो यहां उल्लिखित नहीं हैं, उक्त भर्ती नियमों के अनुसार लागू होंगी।

थ) केवल वे शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार, जो विदेश में रह रहे हैं और साक्षात्कार के लिए चयन समिति के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में असमर्थ हैं, शॉर्ट-लिस्टिंग के लिए अधिसूचना की तारीख से एक सप्ताह के भीतर ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्षात्कार के लिए अनुरोध कर सकते हैं। यदि उनके अनुरोध को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो ऐसे मामले में उम्मीदवार को साक्षात्कार की निर्धारित तिथि और समय के अनुसार अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।

द) चयनित उम्मीदवार पद का कार्यभार संभालने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे। सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर परिवीक्षा अवधि को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि के सफल समापन के बाद, मौजूदा नियमों के अनुसार उनके स्थायीकरण पर विचार किया जाएगा।

ध) उम्मीदवारों को यह बताना चाहिए कि क्या उनके किसी रक्त/करीबी संबंधी [सरकारी कर्मचारी से संबंध में पत्नी या पति, पुत्र या पुत्री, माता-पिता, भाई या बहन या उनमें से किसी से रक्त संबंध या विवाह से संबंधित कोई व्यक्ति शामिल है, चाहे वे सरकारी कर्मचारी पर निर्भर है या नहीं] सीएसआईआर-सीआरआरआई या सीएसआईआर की किसी अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों में काम कर रहा है।

न) किसी भी रूप में पक्ष-प्रचार करना और/या कोई राजनीतिक या अन्य किसी प्रकार प्रभाव डालना पद के लिए अयोग्यता माना जाएगा।

प) साक्षात्कार की तिथि, स्क्रीनिंग/चयन समितियों की सिफारिशों के संबंध में अधिसूचना इसके द्वारा अपनाए गए मानदंडों के साथ या इस विज्ञापन के संबंध में कोई और अपडेट/नोटिस/परिशिष्ट/शुद्धिपत्र आदि केवल सीएसआईआर-सीआरआरआई की आधिकारिक वेबसाइट (www.crridom.gov.in) पर प्रदर्शित किया जाएगा। उम्मीदवारों को अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी। **<u>इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से सीएसआईआर-सीआरआरआई की आधिकारिक वेबसाइट देखें।</u>**

फ) **<u>कोई अंतरिम पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।</u>** ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट पर उल्लिखित हेल्पडेस्क संपर्क केवल आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने से संबंधित परिचालन संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए है।

3. <u>छूट</u>:

क. सरकार के लागू आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए 05 वर्ष और ओबीसी (एनसीएल) के लिए 03 वर्ष तक ऊपरी आयु सीमा में छूट केवल उन मामलों में दी गई है, जहां साक्षात्कार के समय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रारूप में निर्धारित मूल प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करने पर संबंधित श्रेणियों के लिए पद आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार जो उनके लिए आरक्षित नहीं किए गए पदों के लिए आवेदन करते हैं, वे DoPT OM No.36011/1/98- Estt. (Res), दिनांक 01-07-1988 के अनुसार ऐसे पदों के संबंध में आयु में छूट के लिए पात्र नहीं हैं और चयन के संदर्भ में उन्हें सामान्य उम्मीदवारों के समान माना जाएगा [ऐसे मामले में आवेदन शुल्क में छूट, हालांकि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए लागू है]।

ख. भारत सरकार के आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों को अपने आवेदन के साथ, प्रमाण पत्र की एक सत्यापित फोटोकॉपी जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्धारित प्रपत्र में होनी चाहिए, जो इस तरह के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हो (जैसे एसडीओ / जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त आदि) अपलोड करना होगा। ओबीसी प्रमाणपत्रों के लिए, भारत सरकार के मानदंडों और राज्य सरकार के मानदंडों के संबंध में ओबीसी स्थिति के साथ-साथ "क्रीमी लेयर" से बाहर होने, दोनों शर्तों को पूरा किया जाना है। ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाणपत्र नवीनतम होना चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र केवल निर्धारित प्रपत्रों/प्रमाणपत्रों में होना चाहिए और सूचना और अनुपालन के लिए, इस विज्ञापन के संबंध में ऊपर उल्लिखित अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रपत्र सीएसआईआर-सीआरआरआई की वेबसाइट पर "फॉर्म" के लिए लिंक खंड में अलग से अपलोड किए गए हैं। ओबीसी प्रमाण पत्र का प्रारूप भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित क्रीमीलेयर मानदंड को पूरा करने वाले प्रासंगिक भारत सरकार के आदेशों के संदर्भ में होना चाहिए और संघ के किसी भी राज्य में नियुक्ति के संदर्भ में नहीं होना चाहिए। ओबीसी उम्मीदवार की पात्रता भारत सरकार की केंद्रीय सूची में आने वाली जातियों के आधार पर होगी। उनकी उप-जाति को ओबीसी की केंद्रीय सूची में प्रविष्टियों के साथ मेल खाना चाहिए, जो नहीं होने पर उनकी उम्मीदवारी को किसी भी लागू आरक्षित श्रेणी के तहत नहीं माना जाएगा और अन्यथा पात्र होने पर अनारक्षित (यूआर) के रूप में माना जाएगा। ओबीसी उम्मीदवार जो "क्रीमी लेयर" से संबंधित हैं, ओबीसी श्रेणी के लिए स्वीकार्य रियायत के हकदार नहीं हैं और ऐसे उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी को सामान्य के रूप में इंगित करना होगा।

ग. यह ध्यान दिया जाए कि आरक्षित पदों (अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस) पर नियुक्तियां अनंतिम होंगी और उचित माध्यम से जाति/समुदाय/श्रेणी प्रमाणपत्रों के सत्यापन के अधीन होंगी। यदि सत्यापन से पता चलता है कि उम्मीदवार का यह दावा गलत है कि वह अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) / ईडब्ल्यूएस से संबंधित है या ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवारों के मामले में, यदि यह पता चलता है कि उम्मीदवार का नॉन-क्रीमी लेयर से संबंधित होने का दावा गलत है, तब नकली/झूठे प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत उम्मीदवार के विरुद्ध होने वाली संभावित अगली कार्रवाई पर विचार किए बिना तथा कोई अन्य कारण बताए बिना उसकी सेवाओं को अविलंब समाप्त कर दिया जाएगा।

घ. ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग):

वे व्यक्ति जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये से कम (केवल आठ लाख रुपये) है, उन्हे आरक्षण का लाभ देने के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में माना जाएगा। आय में आवेदन के वर्ष से पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सभी स्रोतों अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि से आय भी शामिल होगी। साथ ही जिन व्यक्तियों के परिवार के पास
निम्नलिखित में से किसी भी संपत्ति का मालिकाना हक या कब्ज़ा है, उनकी पारिवारिक आय पर ध्यान दिए बिना, उनको ईडब्ल्यूएस के रूप में छूट से बाहर रखा जाएगा:

i) 5 एकड़ और उससे अधिक कृषि भूमि;
ii) 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;
iii) अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
iv) अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में "परिवार" द्वारा धारित संपत्ति को संयोजित (जोड़ा) जाएगा। इस उद्देश्य के लिए "परिवार" शब्द के अंतर्गत वह व्यक्ति जो आरक्षण का लाभ लेना चाहता है, उसके अलावा उसके / उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहन के साथ-साथ उसके पति / पत्नी और 18 वर्ष की आयु से काम उम्र के बच्चे भी शामिल होगे।

सक्षम प्राधिकारी जैसे (एसडीओ / जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त आदि) द्वारा भारत सरकार के आदेशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने के बाद ही ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार का दावा स्वीकार किया जाएगा और तभी ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ लिया जा सकता है। इन शर्तों में विफल होने पर, ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षित स्थिति के लिए उनका दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी / आवेदन, यदि वे सामान्य (अनारक्षित) श्रेणी के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, तब केवल सामान्य (यूआर) रिक्तियों के अंतर्गत विचार किया जाएगा।

ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत विज्ञापित रिक्तियां दिनांक 31.01.2019 के डीओपीटी, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं. 36039/1/2019-Estt (Res), द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार हैं। ईडब्ल्यूएस रिक्तियां अस्थायी हैं और भारत सरकार के आगे के निर्देशों एवं किसी मुकदमे के परिणामों के अधीन हैं। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत नियुक्ति अनंतिम होगी और आय और संपत्ति प्रमाण पत्र उचित चैनलों के माध्यम से सत्यापित किये जाएंगे और यदि सत्यापन से पता चलता है कि ईडब्ल्यूएस से संबंधित होने का दावा फर्जी/झूठा है, तब नकली/झूठे प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत उम्मीदवार के विरुद्ध होने वाली संभावित अगली कार्रवाई पर विचार किए बिना तथा कोई अन्य कारण बताए बिना उसकी सेवाओं को अविलंब समाप्त कर दिया जाएगा।

ङ. इस संबंध में समय-समय पर भारत सरकार/सीएसआईआर द्वारा जारी निर्देशों और आदेशों के अनुसार सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों, सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले नियमित कर्मचारियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में भी पांच साल तक की छूट है।

च. भारत सरकार के प्रावधानों के अनुसार, विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और न्यायिक रूप से अपने पति से अलग हुई महिलाओं और जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है, उनके संबंध में ऊपरी आयु सीमा में 35 वर्ष की आयु तक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए 40 वर्ष तक) छूट है। लेकिन शैक्षिक योग्यता या भर्ती की पद्धति में कोई छूट नहीं है। इस उप-पैरा के तहत आयु में छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों को मूल रूप में निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे:-

i) विधवा महिला के मामले में, पति के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ शपथ पत्र कि उसने तब से पुनर्विवाह नहीं किया है।

ii) तलाकशुदा महिलाओं और न्यायिक रूप से अपने पति से अलग महिलाओं के मामले में, तलाक या न्यायिक अलगाव के तथ्य को साबित करने के लिए उपयुक्त न्यायालय के निर्णय/डिक्री की एक प्रमाणित प्रति, जैसा भी मामला हो, तथा तलाकशुदा महिलाओं के संबंध में एक शपथपत्र कि उन्होंने तब से दोबारा शादी नहीं की है।

छ. बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों को आयु में छूट (पीडब्ल्यूबीडी/दिव्यांगजन):

निम्नलिखित बेंचमार्क विकलांगों से पीड़ित व्यक्तियों को भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में 10 (दस) वर्ष की छूट [एससी/एसटी के लिए कुल 15 वर्ष और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 13 वर्ष] दी जाएगी:
(i) श्रेणी ए - अंधापन और कम दृष्टि;
(ii) श्रेणी बी - बधिर और कम सुनने वाला;
(iii) श्रेणी सी - सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग से मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ितों और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित लोकोमोटर विकलांगता;
(iv) श्रेणी डी - आत्मकेंद्रित, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी;
(v) श्रेणी ई - बधिर-अंधता सहित खंड (ए) से (डी) के अंतर्गत व्यक्तियों में से कई विकलांगताएं।

नोट: उपरोक्त निर्दिष्ट विकलांगता की परिभाषा "विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" के अनुसार होगी।
इस उप-पैरा के तहत आयु में छूट का दावा करने वाले इसमें प्रासंगिक बेंचमार्क विकलांगता के कम से कम 40% होने वाले व्यक्ति इन पदों की शर्तों में छूट/ आरक्षण के पात्र होंगे। वे बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति (PwBD) जिन्होंने छूट का लाभ लिया है उन्हें विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियमों, 2017 के अध्याय 7 के अंतर्गत नियम 18(1) के प्रपत्र V, VI और VII के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र जमा करना होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 15.06.2017 के अनुसार संशोधित प्रारूप के लिए फॉर्म V, VI और VII (जैसा भी मामला हो) देखें। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 (निरस्त होने के बाद से) के तहत जारी विकलांगता के मौजूदा प्रमाण पत्र उसमें निर्दिष्ट अवधि के लिए वैध रहेगा। किसी भी मामले में, चयन द्वारा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले समूह 'ए' के पदों के लिए इन उम्मीदवारों की नियुक्ति, प्रत्येक व्यक्ति के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मेडिकल फिटनेस के मानकों के साथ उनके चिकित्सकीय रूप से फिट पाए जाने के अधीन होगी। उनके द्वारा कोई आवेदन शुल्क देय नहीं है। अन्य सभी छूट/रियायतें भारत सरकार के आदेशानुसार होंगी। कृपया ध्यान दें, पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को उनकी जाति/समुदाय जैसे एससी/एसटी/ओबीसी/सामान्य/ईडब्ल्यूएस का आवेदन में उल्लेख करना चाहिए, और संबंधित जाति/समुदाय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि यह क्षैतिज आरक्षण है।
एच) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) / ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित मूल प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना आवश्यक है और आवेदन पत्र के साथ उसी की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न की जानी है, जैसा कि ऑनलाइन अपलोड किया गया है। ओबीसी (एनसीएल) के उम्मीदवार को डीओपीटी (जीओआई) द्वारा जारी नवीनतम निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार के तहत पदों की नियुक्ति के लिए वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को ओबीसी (एनसीएल) की स्थिति की गणना की तिथि के रूप में माना जाएगा। ओबीसी (एनसीएल) के उम्मीदवारों को 'अंडरटेकिंग' (अनुबंध- I) पर हस्ताक्षर करना चाहिए और इसे अपने ओबीसी (एनसीएल) प्रमाण पत्र के साथ अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना चाहिए, अन्यथा ओबीसी (एनसीएल) के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, ओबीसी (एनसीएल) के उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय या सीआरआरआई द्वारा मांगे जाने पर केंद्र सरकार के तहत पद पर नियुक्ति के लिए मान्य मूल और नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के मामले में, आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जमा करने की महत्वपूर्ण तिथि आवेदन की ऑनलाइन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी और यह केवल वर्ष 2022-2023 के लिए वैध होनी चाहिए।

ज) सीएसआरएपी नियमावली, 2001 के प्रावधानों के अनुसार, महानिदेशक, सीएसआईआर द्वारा आयु, योग्यता और/या अनुभव में छूट की अनुमति दी जा सकती है, यदि स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा के आधार पर प्रयोगशाला के निदेशक की राय है कि पदों को भरने के लिए अपेक्षित योग्यता और/या अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

झ) ऊपर बताई गई सभी आयु छूट सर्वागीण नहीं हैं। आयु में छूट की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया भारत सरकार/सीएसआईआर के आदेश देखें।

4. चयन का तरीका:

क) शैक्षिक योग्यता और अनुभव को पूरा करने मात्र से कोई उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं हो जाता है। विधिवत गठित स्क्रीनिंग कमेटी उम्मीदवारों को शॉर्ट-लिस्ट करने के लिए अपना मानदंड अपनाएगी। इसीलिए, उम्मीदवार को आवेदन में दस्तावेजों के साथ समर्थित न्यूनतम निर्धारित योग्यता के अलावा संबंधित क्षेत्र में सभी योग्यताओं और अनुभव का उल्लेख करना चाहिए।

ख) आवेदकों की अधिक संख्या की स्थिति में, सीएसआईआर - सीआरआरआई साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को उचित संख्या तक सीमित करने के लिए शॉर्टलिस्टिंग मानदंड अपना सकता है। **यह शॉर्ट-लिस्टिंग विधिवत गठित स्क्रीनिंग कमेटी (कमेटियों) द्वारा उनके द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार की जाएगी और कमेटी की अनुशंसाओं को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाएगा। योग्यता के आधार पर पदों के लिए उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए चुने गए उम्मीदवारों पर विधिवत गठित चयन समिति (समितियों) द्वारा साक्षात्कार के लिए विचार किया जाएगा। चयन समितियों की अनुशंसाओं को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाएगा।**

ग) स्क्रीनिंग कमेटी (कमेटियां) निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीकों से आवेदनों की छंटनी कर सकती है:

1) विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम से अधिक शैक्षणिक योग्यता के आधार पर।
2) विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम की तुलना में संबंधित क्षेत्र में वांछनीय अनुभव/योग्यता या अधिक के आधार पर।
3) दायर पेटेंट, एससीआई/प्रतिष्ठित पत्रिकाओं आदि में प्रकाशन के आधार पर ।
4) स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली कोई अन्य कार्यप्रणाली।

5. आवेदन कैसे करें:

क) योग्य उम्मीदवारों को सीएसआईआर- केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट https://crridom.gov.in/ या https://recruitment.crridom.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। **अन्य किसी माध्यम से किए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।**

ख) ऑनलाइन आवेदन पत्र का विवरण उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

ग) ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए, कृपया उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध "अनुदेश", "शुल्क भुगतान प्रक्रिया" और "आवेदन प्रतिकृति' देखें।

घ) आवेदन तीन अलग-अलग चरणों में प्रस्तुत किया जाना है जो इस प्रकार हैं:

(i) पंजीकरण (ऑनलाइन)
(ii) शुल्क जमा करना (ऑनलाइन), यदि लागू हो
(iii) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना, सभी संबंधित सहायक दस्तावेजों को अपलोड करना और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना।

(ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र की एक सॉफ्ट कॉपी अपने पास रख लें। आवेदन जमा करने के बाद उन्हें आवेदन की कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है । केवल साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों से ही उचित समय पर उनके आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने के लिए कहा जाएगा)

ङ) यदि आवेदक के पास वैध ईमेल आईडी नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले एक नया वैध ईमेल आईडी बनाना चाहिए और पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान सक्रिय रखना चाहिए। उम्मीदवार को अपना नाम, ईमेल-आईडी और पासवर्ड के साथ पंजीकरण करना होगा।

च) सफल पंजीकरण के बाद, उम्मीदवार को क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉगिन करना होगा और ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र भरने के बाद, उम्मीदवार सभी प्रासंगिक सहायक दस्तावेजों को अपलोड कर सकता है और यह सुनिश्चित करने के लिए आवेदन को सत्यापित / संपादित कर सकता है कि आवेदन सभी पहलुओं में पूर्ण और सही है। अंतिम रूप देने के बाद, उम्मीदवार को ड्राफ्ट आवेदन को अंतिम रूप से 'जमा' करना होगा और विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास रखना होगा।

छ) ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद, आवेदकों को इस स्तर पर आवेदन की कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। उन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन की एक सॉफ्ट कॉपी/ ऑनलाइन कंप्यूटर जनित आवेदन पत्र का एक प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रखनी चाहिए।

ज) जब भी किसी उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो उसे ऑनलाइन आवेदन पत्र में उनके द्वारा अपलोड किए गए सभी प्रमाणपत्रों / दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ अपने आवेदन की हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी जमा करने के लिए कहा जाएगा।

झ) उम्मीदवार की पात्रता की जांच उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रस्तुत की गई जानकारी/दस्तावेजों के आधार पर की जाएगी। इसीलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र को अत्यंत सावधानी से भरें और किसी भी कॉलम को खाली न छोड़ें। उन्हें 'एसबी कलेक्ट' भुगतान रसीद (यदि लागू हो) के साथ 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी, डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स (मार्कशीट सहित), एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट, अनुभव (यदि लागू हो) के सभी प्रमाण पत्र अपलोड करने चाहिए ।

ञ) साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब उनकी विधिवत हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी प्राप्त हो जाएगी।

ट) आवेदनों के उपर्युक्त चरणों की तिथियां इस प्रकार हैं:
(i) ऑनलाइन पंजीकरण / शुल्क जमा करने की प्रारम्भिक तिथि : **27.02.2023 (प्रातः 10:00 बजे से)**
(ii) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: **29.03.2023 (शाम 05:00 बजे तक)**

ठ) रुपये 500/-, जहां भी लागू हो, का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क, ऑनलाइन भुगतान के लिंक के माध्यम से जमा किया जाना है जो उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध होगा और **ई-रसीद/चालान** की मुद्रित प्रति को ऑनलाइन अपलोड किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिक/सीएसआईआर कर्मचारी वर्ग/विदेश के उम्मीदवारों को प्रासंगिक प्रमाण पत्र अपलोड करने के अधीन आवेदन शुल्क जमा करने से छूट दी गई है।

ड) विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा सीजीपीए/एसजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई ग्रेड आदि प्रदान करने के मामले में, उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इसे अपने विश्वविद्यालय/संस्थान के फॉर्मूला के आधार पर प्रतिशत में परिवर्तित करें और जहां भी लागू हो, प्रमाण की एक प्रति अपलोड करें।

ढ) एक उम्मीदवार कई पद कूटों के लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते वह प्रत्येक व्यक्तिगत पद कूट से जुड़े सभी पात्रता मानदंड को पूरा करता हो। हालांकि, उम्मीदवार को प्रत्येक पद कूट के लिए अलग से अपेक्षित आवेदन शुल्क के साथ आवेदन (प्राथमिक/पंजीकरण विवरण को छोड़कर) भरना होगा।

ण) एक बार किए गए आवेदन को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और एक बार भुगतान किया गया शुल्क न तो किसी भी स्थिति में वापस किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य भर्ती या चयन प्रक्रिया के लिए रिजर्व में रखा जा सकता है।

त) सरकारी विभाग के कर्मचारियों के आवेदनों पर तभी विचार किया जाएगा, जब 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एनओसी) अपलोड करने के साथ-साथ इसमें नियोक्ता द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो कि यदि आवेदक का चयन होता है, तो नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के एक महीने के भीतर उसे कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। सतर्कता अनापत्ति भी दर्ज की जानी चाहिए। यदि उन्हे शॉर्टलिस्ट किया जाता है, तब सभी अपलोड किए गए दस्तावेजों के साथ आवेदन की हार्ड कॉपी उचित माध्यम से अग्रेषित किया जाना है। मांगे जाने पर उचित माध्यम से भेजे गए आवेदन निदेशक, सीएसआईआर-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई), नई दिल्ली तक पहुंच जाने चाहिए।

थ) अधूरे आवेदन या आवेदन शुल्क के बिना, जहां भी लागू हो, जन्म तिथि, योग्यता, अनुभव, जाति, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आदि के समर्थन में लागू प्रासंगिक शंसापत्र अपलोड किए बिना आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे आवेदनों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

6. केवल साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को डाक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने हैं:-

1) 500/- रुपये के आवेदन शुल्क(जहां भी लागू हो) की ई-रसीद/चालान की मुद्रित प्रति ।

2) फॉर्म पर उपयुक्त स्थान पर हस्ताक्षर किए गए हैं और रंगीन फोटोग्राफ चिपकाया गया है तथा उस पर आर-पार हस्ताक्षर किए गए हैं।

3) नाम और जन्म तिथि के समर्थन में प्रमाण पत्र (एचएस / एचएसएससी / जन्म प्रमाण पत्र) की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी। राजपत्र अधिसूचना/शपथ पत्र (यदि लागू हो) की स्वप्रमाणित प्रति।

4) आवश्यक योग्यता और किसी अन्य उच्च योग्यता के समर्थन में प्रमाण पत्र और मार्कशीट (सेमेस्टर वार / वर्ष वार) की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी, जो ऑनलाइन अपलोड की गई हो।

5) जाति / ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी, यदि लागू हो। विधवा/तलाकशुदा महिलाओं/न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाओं के मामले में, तलाक या न्यायिक अलगाव, जैसा भी मामला हो, के तथ्य को साबित करने के लिए उपयुक्त न्यायालय के निर्णय/डिक्री की एक प्रमाणित प्रति, तथा तलाकशुदा महिलाओं के मामले में, यह शपथपत्र कि उन्होंने तब से दोबारा शादी नहीं की है, जो ऑनलाइन अपलोड किया गया हो।

6) अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी, यदि कोई हो, जो ऑनलाइन अपलोड की गई हो।

7) यदि कार्यरत हैं तो एनओसी (सरकारी/स्वायत्त निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों से), जो ऑनलाइन अपलोड की गई हो।

8) एम.टेक/ एम.ई. /एम.एस. /पीएच.डी. शोध निबंध थीसिस का सार, जो ऑनलाइन अपलोड किया गया हो।

9) एससीआई/प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में शोध प्रकाशनों की सूची, यदि कोई हो, जो ऑनलाइन अपलोड की गई हो।

10) ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवारों के लिए, ओबीसी (एनसीएल) प्रमाणपत्र के साथ विधिवत हस्ताक्षरित वचनबंध, जैसा ऑनलाइन अपलोड किया गया हो।

हस्ता०/-
प्रशासन नियंत्रक

नोट: किसी भी विसंगति के मामले में, इस विज्ञापन का अंग्रेजी संस्करण अंतिम माना जाएगा।

अनुलग्नक-I

<u>वचनबंध</u>

ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र

(उनके सामुदायिक प्रमाणपत्र के अतिरिक्त)

मैं ____ पुत्र/पुत्री _____________________________ का निवासी हूं गांव/कस्बा/शहर ____ जिला ____________________________ राज्य________________ इसके द्वारा घोषित करता/करती हूं कि मैं ________________ समुदाय से संबंधित हूं जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36102/22/93-स्था.(एससीटी) दिनांक 08.09.1993 में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है।

यह भी घोषित किया जाता है कि मैं उपरोक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूं, जिस उपरोक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन को कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/3/2004-स्था.(Res.) दिनांक 09.03.2004, कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/3/2004- स्थापना(Res.) दिनांक 14.10.2008 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-Estt.(Res.) दिनांक 13.09.2017 के अनुसार आगे संशोधित किया गया है।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार मेरे माता-पिता/अभिभावक की हैसियत/वार्षिक आय क्रीमीलेयर के लिए निर्धारित सीमा के भीतर है।

हस्ताक्षर...

पूरा नाम...

पता..

....